प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 732/2003

देवचरण

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ प्रस्तुत निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश
मै सहमत हूँ।

हस्ताक्षर
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

निर्णय के लिए सूचीबद्ध करे : 5/3/2010

हस्ताक्षर
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 732/2003

कोरम : माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

अपीलकर्ता (अभिरक्षा में) — **देवचरण, पिता श्री शत्रुघ्न निषाद, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम घुटाकू नयापारा, थाना गरियाबंद, जिला रायपुर (छ.ग.)**

बनाम

प्रत्यर्थी — **छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा: थाना गरियाबंद, जिला रायपुर (छ.ग.)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील)

उपस्थित:

श्री लखनलाल महिलंगे, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

श्री राकेश कुमार झा, राज्य के उप शासकीय अधिवक्ता

(निर्णय)

(5 मार्च, 2010 को पारित)

न्यायालय का निर्णय टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:

1. इस अपील में सत्र विचारण क्रमांक 226/2002 में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 22.3.2003 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने मृतक चिरंजीव की सदोष मानववध हत्या के लिए अपीलकर्ता को दोषी मानते हुए तथा दांडिक मामले के साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 201 के तहत दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास एवं दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया था।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में, अधीनस्त न्यायालय ने अपीलार्थी को उपर्युक्त रूप में दोषी ठहराया और दंडित किया है और इस प्रकार अविधिकता कारित की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि दिनाँक 19.5.2002 के घटना वाले दिन चिरंजीव (अब मृतक), मोहन की बहन के विवाह समारोह में मौजूद था, उसने वहां शराब पी और उसके बाद अपीलकर्ता ने मृतक चिरंजीव की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद, उसने मृतक चिरंजीव के शव को उसके घर के पीछे से घसीटकर लोमस के किचन गार्डन में ले गया। दूसरे दिन सुबह लगभग 5.30 बजे मृतक चिरंजीव का शव ग्रामीणों ने लोमस के किचन गार्डन में देखा। सतीश (अभियोजन साक्षी-1) ने प्रदर्श/पी1 के तहत पुलिस को मर्ग सूचना दर्ज कराई है। प्रदर्श/पी16ए के तहत देहाती नालसी भी दर्ज की गई और देहाती नालसी के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई, जिसे दिनाँक 20.5.2002 को प्रदर्श पी/17 के तहत दर्ज किया गया। संवेदना अधिकारी घटनास्थल पर गए और प्रदर्श पी/5ए के अनुसार गवाहों को बुलाने के बाद, मृतक चिरंजीव के शव की मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी/6 के अनुसार तैयार की गई। मृतक चिरंजीव के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गरियाबंद में प्रदर्श पी/15 के अनुसार भेजा गया। डॉ. अजय खांडेकर

(अभियोजन साक्षी-14) ने प्रदर्श पी/21 के अनुसार शव परीक्षण किया और मृतक चिरंजीव के शरीर पर निम्नलिखित लक्षण और चोटें पाईं।

1) एक लाल सफेद गमछा गर्दन के चारों ओर मिला, कपड़े खून से सने थे, जीभ बाहर निकली हुई थी और दांतों के बीच फंसी हुई थी। चेहरे पर धूल मिली, नाक से खून निकल रहा था और चेहरा गहरे नीले रंग का था।

2) गला घोंटने के निशान गर्दन पर पाए गए, उन निशानों पर हल्की खरोंचें थी।

3) माथे पर और दाहिने गाल पर घर्षण और खरोंच के निशान मिले।

4) श्वास नली की रिंग और थायरॉयड कार्टिलेज में फ्रैक्चर मिला।

5) गला घोंटने के लिए गमछा गर्दन के चारों ओर गांठ के साथ पाया गया।

चोटें मृत्युपूर्व की थीं। मृत्यु का कारण गला घोंटना था, और मौत हत्या के कारण हुई थी। संवेदना अधिकारी द्वारा मौका नक्शा तैयार किया गया। अभियुक्त देवचरण के घर के पीछे हिस्से से खून आलूदा और सादी मिट्टी के नमूने बरामद किए गए (प्रदर्श पी/4)। पोस्टमॉर्टम के बाद मृतक के सील किए गए कपड़े जब्त किए गए (प्रदर्श पी/7)। पटवारी ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया (प्रदर्श पी/10)। अभियुक्त को भी चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया। डॉ. अजय खंडेकर (अभियोजन साक्षी-14) द्वारा जांच की गई (प्रदर्श पी/18ए) जिसमें अभियुक्त की गर्दन के बाएं हिस्से पर 1 इंच की खरोंच और गर्दन के पिछले हिस्से पर 3 इंच की खरोंच पाई गई। विवेचना के दौरान, अभियुक्त की खून लगी पूरी पैंट जब्त की गई (प्रदर्श पी/3)। जब्त वस्तुओं को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया (प्रदर्श पी/13) और अभियुक्त की पूरी पैंट पर खून की उपस्थिति की पुष्टि हुई (प्रदर्श पी/6)।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए और विवेचना पूरी होने के बाद, अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरियाबंद की

न्यायालय में पेश किया गया, जिसने मामले को सत्र न्यायालय, रायपुर को उपार्पित दिया, वहाँ से यह मामला पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर को विचरण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्त/अभियुक्तगण का दोष प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का बयान धारा 313 के तहत दर्ज किया गया जहाँ उसने अपने खिलाफ़ आई परिस्थितियों से इंकार किया और खुद को निर्दोष बताया।

6. पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, पांचवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और उपरोक्तानुसार दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओ को सुना, अपीलित निर्णय और अधीनस्त न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह अपने मामले को संदेह की किसी भी छाया से परे साबित करे, लेकिन वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। केवल इस आधार पर कि अपीलकर्ता के घर के पिछले हिस्से के पास कुछ खून पाया गया था और शव को उसके घर के पिछले हिस्से से घर के किचन गार्डन तक घसीटने के कुछ निशान थे, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था जिसने अपराध किया था।

9. विद्वान अधिवक्ता ने कादिर बनाम राज्य[1] के मामले पर भरोसा किया जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि हत्या के स्थान के पास कोई खून नहीं मिलने और आरोपी के घर के पास खून पाए जाने की स्थिति में अभियोजन पक्ष का मामला खारिज किए जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे सनिया राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[2] के मामले पर भरोसा किया जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कुल्हाड़ी और शर्ट पर मानव रक्त के सबूत के अभाव में, बरामदगी को अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अमर साईं बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[3] के मामले पर भी भरोसा किया जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि कुल्हाड़ी पर पाए गए विशिष्ट रक्त समूह की अनुपस्थिति में, अभियुक्त को मृतक की हत्या से नहीं जोड़ा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने भुनवा उर्फ धनुराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[4] के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि फावड़े पर मानव रक्त, वह भी मृतक के रक्त समूह का, न मिलने पर, कोई फायदा नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने गौलाकन एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[5] के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अभियोजन पक्ष को निर्विवाद साक्ष्य द्वारा पर्याप्त परिस्थितियों को साबित करना आवश्यक है और यह प्रकृति में निर्णायक होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि प्रस्तुत साक्ष्य और पाई गई अन्य परिस्थितियाँ यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था जिसने अपराध किया है।

---

1 1987 क्रि.एल.जे. 101

2 2004 (2) सी.जी.एल.जे. 124

3 2006 (3) सी.जी.एल.जे. 55

4 2006 (3) सी.जी.एल.जे. 93

5 2003 (3) सी.जी.एल.जे. 337

11. पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। वर्तमान मामले में, मृतक चिरंजीव की मृत्यु पूर्व घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई हत्या की बात को अपीलकर्ता द्वारा पर्याप्त रूप से चुनौती नहीं दी गई है, जबकि डॉ. अजय खांडेकर (अभियोजन साक्षी-14) के साक्ष्य और शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/21 से भी यह बात साबित होती है, जिससे पता चलता है कि मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी और यह मानववध की प्रकृति की थी।

12. जहां तक संबंधित अपराध में अभियुक्त/अपीलकर्ता की संलिप्तता का संबंध है, वर्तमान मामले में दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। सतीश (अभियोजन साक्षी-1) ने अपनी गवाही में यह बयान दिया है कि रघु ठाकुर ने उसे बताया कि मृतक चिरंजीव का शव लोमस के किचन गार्डन में पड़ा है, तब वह लोमस के किचन गार्डन में गया जहां चिरंजीव का खून से सना शव लोमस के किचन गार्डन में पड़ा था। वह पुलिस थाने गया और प्रदर्श पी/1 के तहत मर्ग सूचना दर्ज कराई। तनेश्वर (अभियोजन साक्षी-2) ने अपनी गवाही में यह बयान दिया है कि वह और मृतक चिरंजीव एक विवाह समारोह में नाच रहे थे। रात में नृत्य समाप्त होने के बाद चिरंजीव ने उससे कहा कि वह अपने घर जा रहा है और दूसरे दिन मृतक चिरंजीव का खून से सना शव अपीलकर्ता के घर के पीछे स्थित किचन गार्डन में पाया गया। उन्होंने यह भी गवाही दी है कि अपीलकर्ता के घर से लोमस के किचन गार्डन तक "घसीटने के निशान" मौजूद थे जहाँ शव मिला था। अपीलकर्ता देवचरण के घर से लेकर उस जगह तक खून के धब्बे पाए गए जहाँ मृतक का शव पड़ा था। बनमाली (अभियोजन साक्षी-3) ने भी तनेश्वर (अभियोजन साक्षी-2) के साक्ष्य का समर्थन किया है। अभियोजन पक्ष ने लोमस (अभियोजन साक्षी-5) का भी परीक्षण कराया है जिसके किचन गार्डन में शव मिला था। उसने शुरू में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया। अपने प्रति-परीक्षण के अनुच्छेद 3

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में, उसने स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता देवचरण के घर से लेकर उसके किचन गार्डन तक "घसीटने के निशान" मौजूद थे। देवेश्वर गंगराड़े (अभियोजन साक्षी-6) ने भी तनेश्वर (अभियोजन साक्षी-2) के साक्ष्य की पुष्टि की है। विवेचना के दौरान, पुलिस ने अभियुक्त से प्रदर्श पी/3 के तहत खून से सना फुल पैंट जब्त किया है। जब्ती के तथ्य की पुष्टि सतीश (अभियोजन साक्षी-1) और उप निरीक्षक जे.एस.रंगी (अभियोजन साक्षी-13) ने अच्छी तरह से की है। जे.एस.रंगी (अभियोजन साक्षी-13) ने अपनी गवाही में विशेष रूप से कहा है कि उन्होंने प्रदर्श पी/2 के अनुसार घटनास्थल का नक्शा तैयार किया है, जिसमें उन्होंने अभियुक्त के बरामदे में और अभियुक्त के बरामदे और लोमस के किचन गार्डन के बीच पाए गए घसीटने के निशान और खून की मौजूदगी का विशेष रूप से उल्लेख किया है। बचाव पक्ष ने इन गवाहों से विस्तार से प्रति-परीक्षण किया। तनेश्वर (अभियोजन साक्षी-2) ने अपनी प्रति-परीक्षण के अनुच्छेद 7 में स्वीकार किया है कि उसने स्वयं घसीटने के निशान देखे हैं, लेकिन उसने फिर से कहा है कि उसने घसीटने के निशान नहीं देखे हैं और अन्य व्यक्तियों के साक्ष्य के आधार पर उसने कहा है कि उसने घसीटने के निशान देखे हैं। बनमाली (अभियोजन साक्षी-3) ने भी कहा है कि ग्रामीणों ने उसे घसीटने के निशान के बारे में बताया था, इसलिए उसने घसीटने के निशान के बारे में कहा है। बचाव पक्ष ने लोमस (अभियोजन साक्षी-5) से घसीटने के निशान की मौजूदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा है। जे.एस.रंगी (अभियोजन साक्षी-13) जिन्होंने मौका नक्शा तैयार किया है, ने विशेष रूप से यह बयान दिया है कि वर्तमान अपीलकर्ता के घर से लेकर लोमस के किचन गार्डन तक शव को घसीटने के निशान पाए गए थे और अपीलकर्ता के घर और लोमस के किचन गार्डन में खून पाया गया था, जिसे उन्होंने प्रदर्श पी/4 के तहत जब्त कर लिया है और प्रदर्श पी/2 के तहत मौका नक्शा भी तैयार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जैसा कि इस न्यायालय ने सनिया राम, अमर साय और भुरावू उर्फ धनुराम (पूर्वोक्त) के मामलों में निर्णय दिया है, कपड़ों या हथियारों पर खून पाए जाने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि मृतक के रक्त समूह से उसका मेल है या नहीं। वर्तमान मामले में, दोषसिद्धि केवल रक्त की उपस्थिति पर आधारित नहीं है, बल्कि दोषसिद्धि मूलतः अन्य परिस्थितियों पर आधारित है, जैसे कि अपीलकर्ता के घर से शुरू होकर लोमस के किचन गार्डन तक घसीटने का निशान, जहाँ विभिन्न स्थानों पर खून से सना हुआ शव मिला था। सनिया राम, अमर साय और भुरावू उर्फ धनुराम (पूर्वोक्त) के मामलों के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न हैं।

14. पडाला रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य[6] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1) जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जा रहा है, वे स्पष्ट और दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए;

2) वे परिस्थितियाँ निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अभियुक्त के दोष की ओर अचूक रूप से इंगित करती हों;

3) परिस्थितियों को संचयी रूप से लिया जाए तो एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था, किसी और द्वारा नहीं; और

4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने

6 एआईआर 1990 एससी 124

चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के दोष के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ भी असंगत होना चाहिए।

15. जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कादिर (पूर्वोक्त) मामले में निर्णय दिया था, अभियोजन पक्ष के मामले पर इस आधार पर अविश्वास किया गया कि जहाँ चाकू से वार किया गया था, वहाँ खून नहीं पाया गया था, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक था। कादिर (पूर्वोक्त) प्रकरण के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं।

16. वर्तमान मामले में, मृतक का शव लोमस के किचन गार्डन में अपीलकर्ता के घर के पास पाया गया था। अपीलकर्ता के घर से लेकर शव मिलने वाले स्थान तक "घसीटने के निशान" पाए गए थे और उपरोक्त घसीटने के निशान में विभिन्न स्थानों पर खून के धब्बे पाए गए थे, जिनकी विधिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जाँच की गई और प्रदर्श पी/26 के अनुसार खून की पुष्टि की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यह विशेष साक्ष्य है और यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि किसी ने मृतक चिरंजिव के शव को अपीलकर्ता के घर से उस स्थान तक घसीटा है जहाँ शव मिला था। अपीलकर्ता अपने घर में मौजूद था। वर्तमान अपराध गुप्त रूप से किया गया है। वर्तमान अपीलकर्ता को इस तथ्य की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत यह स्पष्टीकरण देना उसका दायित्व है कि मृतक का गला किसने घोंटा, मृतक को उसके घर से घसीटकर उस स्थान तक कौन ले गया जहाँ मृतक का शव मिला था और उपरोक्त घसीटने के निशान में खून कैसे पाया गया। यदि इन परिस्थितियों पर एक साथ विचार किया जाए, तो ये अपीलकर्ता के अपराध की परिकल्पना के लिए पर्याप्त होंगी और उसकी निर्दोषता या अन्य व्यक्ति के अपराध की परिकल्पना को खारिज कर देंगी।

18. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात, विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने मृतक चिरंजीव की सदोष मानववध की है और दांडिक मामले के साक्ष्य को छिपाने के आशय से शव को उसके घर से हटा दिया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के अंतर्गत विश्वसनीय, पुष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है।

19. साक्ष्यों की गहन जांच करने पर, हमें आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं दिखाई देती। अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है और इसे एतदअय खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

हस्ताक्षर
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)